राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं.एफ.1(5) डीओपी/ए-/88 जयपुर, दिनांकः 6.2.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.04.2022 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975 से संलग्न अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. सिविल/ यांत्रिकी/ विद्युत/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान/ इलैक्ट्रोनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी डिग्री या समतुल्य अर्हताएं; और

2. स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।;"

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सिविल/ यांत्रिकी/ विद्युत/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान/ इलैक्ट्रोनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी डिग्री या

समतुल्य अर्हताओं के साथ स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पदों पर पांच वर्ष का अनुभव।;"

(iii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सिविल/ यांत्रिकी/ विद्युत/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान/ इलैक्ट्रोनिक्स और संचार अभियांत्रिकी या समतुल्य अर्हताओं में डिग्री धारकों के लिए पांच वर्ष का, या स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पदों पर अभियांत्रिकी ट्रेडों या समतुल्य अर्हताओं में डिप्लोमा धारकों के लिए दस वर्ष का अनुभव।; और"

(iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सिविल/ यांत्रिकी/ विद्युत/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान/ इलैक्ट्रोनिक्स और संचार अभियांत्रिकी या समतुल्य अर्हताओं में डिग्री धारकों के लिए पांच वर्ष का, या अभियांत्रिकी ट्रेडों या समतुल्य अर्हताओं में डिप्लोमा धारकों के लिए दस वर्ष का, या स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पदों पर आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों के लिए बारह वर्ष का अनुभव।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

2/2024